न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :–03/122/2024 ऑनलाईन नम्बर:– 2024/644 प्रवेश तिथि:– 04.12.2024

1. बुद्धा लाल सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी जाति माली आयु 66 निवासी श्रीनगर बांदेन जोडी का बास राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर। .....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री जितेन्द्र कुमार सैनी एड. प्रार्थी
2. तहसीदार राजगढ –अप्रार्थी

–:निर्णय:– दिनांक: 16/09/2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी के खाता संख्या 61 खसरा संख्य 160/0.32, 197/0.21, 198/0.22, 199/0.01, 200/0.02, 204/0.46 कुल किता 6 कुल रकबा 1.24 है0 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उपरोक्त आराजी प्रार्थी 1/3 हिस्से की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **बुध्दाराम पुत्र नारायण** दर्ज रिकार्ड है जबकि अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम **बुद्दा लाल पुत्र नारायण** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत दर्ज इन्द्राज से प्रार्थी के हकूक खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **बुध्दाराम पुत्र नारायण** के स्थान पर **बुद्दा लाल पुत्र नारायण** दुरूस्त करने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/1557 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जोकि शामिल पत्रावली है। मुताबिक तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट के अनुसार नामान्तकरण संख्या 12 श्रीनगर के नारायण पुत्र भौरा जाति माली की विरासत मोहनलाल, बुध्दराम पुत्रान नारायण 2/3 हिस्सा व मुकेश पुत्र छुटटन 1/3 हिस्सा जाातियान माली सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज हुई थी। नामा. संख्या 12 से बुध्दराम पुत्र नारायण माली जमाबंदी में अमल आया है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत में नाम बुद्दा लाल दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार राजगढ के अनुसार **बुद्दा लाल पुत्र नारायण** और **बुध्दाराम पुत्र नारायण** एक ही व्यक्ति है। इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति वाके ग्राम श्रीनगर में नही है। तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम **बुध्दाराम पुत्र नारायण** के स्थान पर **बुद्दा लाल पुत्र नारायण** दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की हाल खाता संख्या 61 खसरा संख्य 160/0.32, 197/0.21, 198/0.22, 199/0.01, 200/0.02, 204/0.46 कुल किता 6 कुल रकबा 1.24 है0 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उपरोक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **बुध्दाराम पुत्र नारायण** दर्ज रिकार्ड है। जबकि अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम **बुद्धा लाल पुत्र नारायण** दर्ज रिकार्ड है। सहवन से उक्त गलत दर्ज इन्द्राज से प्रार्थी के हकूक खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **बुध्दाराम** के स्थान पर **बुद्धा लाल** दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार व पटवारी रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या 61 खसरा संख्य 160/0.32, 197/0.21, 198/0.22, 199/0.01, 200/0.02, 204/0.46 कुल किता 6 कुल रकबा 1.24 है0 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बुध्दाराम पुत्र नारायण दर्ज है उसके स्थान पर बुद्धा लाल पुत्र नारायण दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जगा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

सत्यमेव जयते
राजगढ़, जिला – अलवर (रा...)